अमर उजाला - Page No - 4
Date - 13/1/23

सीईओ सचिवालय
डायरी सं.....
दिनांक.....

# अब नहीं बिकेगा नकली-पॉलिश बासमती चावल

## एफएसएसएआई ने पहली बार की पहचान मानकों की स्पष्ट व्याख्या, नए मानक एक अगस्त से होंगे लागू

नई दिल्ली। बासमती चावल के विक्रेता इसके मूल रंग, आकार और सुगंध से छेड़छाड़ नहीं कर पाएंगे। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने मिलावट रोकने के प्रयासों के तहत पहली बार बासमती चावल की पहचान के लिए व्यापक मानक जारी किए हैं। नए मानक एक अगस्त, 2023 से लागू होंगे।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, देश में पहली बार एफएसएसएआई ने बासमती चावल के लिए पहचान मानकों की स्पष्ट व्याख्या की है। इसके तहत बासमती चावल में प्राकृतिक सुगंध गुण होना चाहिए। इसमें कोई कृत्रिम रंग और सुगंध के साथ पॉलिश करने वाले तत्व नहीं होने चाहिए। मानकों में चावल के आकार, उसकी गुणवत्ता और पहचान निर्धारित की गई है।

### जून तक 10 लाख टन अरहर दाल खरीदेगा केंद्र

उत्पादन घटने के डर से सरकार जून तक 10 लाख टन अरहर दाल आयात करेगी। इससे घरेलू जरूरत को पूरा किया जाएगा। दाल और प्याज की कीमतों की समीक्षा के लिए कैबिनेट सचिव ने बृहस्पतिवार को बैठक बुलाई थी।

मानकों में चावल के दाने का औसत आकार, पकाने के बाद लंबाई, नमी की अधिकतम सीमा, एमाइलोज की मात्रा, यूरिक एसिड और क्षतिग्रस्त चावल की मिलावट का भी जिक्र किया गया है। बासमती चावल में ब्राउन बासमती चावल, मिल्ड बासमती चावल, उसना भूरा बासमती चावल और मिल्ड उसना बासमती चावल शामिल हैं। ब्यूरो

### रिकॉर्ड 11.2 करोड़ टन गेहूं का उत्पादन संभव

गेहूं उत्पादन 2022-23 में 11.2 करोड़ टन का रिकॉर्ड बना सकता है। फसल वर्ष 2021-22 में उत्पादक राज्यों में लू के कारण गेहूं उत्पादन घटकर 10.68 करोड़ टन रह गया था। 2020-21 में रिकॉर्ड 10.96 करोड़ टन उत्पादन हुआ था।

- **प्रतिबंध हटाने पर फैसला अप्रैल तक :** गेहूं निर्यात से प्रतिबंध हटाने पर सरकार मार्च-अप्रैल तक फैसला करेगी।

जनसत्ता
Page No - 17
Date - 13/1/23

# भारत में पहली बार बासमती चावल के लिए तय हुए मानक

नई दिल्ली, 12 जनवरी (भाषा)।

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआइ) ने उचित व्यापार व्यवहार सुनिश्चित करने और मिलावट रोकने के प्रयासों के तहत पहली बार बासमती चावल की पहचान के लिए व्यापक मानक जारी किए हैं। बासमती चावल में प्राकृतिक सुगंध गुण होना चाहिए और कोई कृत्रिम रंग, पालिश करने वाले तत्व और कृत्रिम सुगंध नहीं होनी चाहिए। अधिसूचित किए गए ये मानक इस साल अगस्त से प्रभावी होंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बयान में कहा, 'देश में पहली बार एफएसएसएआइ ने बासमती चावल के लिए पहचान मानकों की स्पष्ट रूप से व्याख्या की है।' बासमती चावल में ब्राउन बासमती चावल, मिल्ड बासमती चावल, उसना भूरा बासमती चावल और मिल्ड उसना बासमती चावल शामिल हैं।

एफएसएसएआइ ने इन मानकों को भारत के राजपत्र में अधिसूचित खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) प्रथम संशोधन विनियम, 2023 के माध्यम से जारी किया है। बयान में कहा गया है कि इन मानकों के अनुसार, बासमती चावल में बासमती चावल की प्राकृतिक सुगंध विशेषताएं होनी चाहिए और इसे कृत्रिम रंग, पालिशिंग एजेंट और कृत्रिम सुगंध से मुक्त होना चाहिए। ये मानक बासमती चावल के लिए विभिन्न पहचान और गुणवत्ता मापदंडों को भी स्पष्ट करते हैं जैसे कि अनाज का औसत आकार कितना हो और पकाने के बाद उनका बढ़ा हुआ आकार कितना होना चाहिए।

CEO
Advt.(S)